लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4081
दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

संबलपुरी साड़ियों का निर्यात

4081. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बरगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हजारों बुनकर अपनी आजीविका के लिए संबलपुरी साड़ियों के उत्पादन पर निर्भर हैं;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबलपुरी साड़ियों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की संबलपुरी हथकरघा उत्पादन में कार्यरत बुनकरों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई विशिष्ट योजनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार की ऐसी योजनाएं आरंभ करने की योजना है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि परंपरागत संबलपुरी साड़ी बुनकरों को सरकार से विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त होगी?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करके बरगढ़ सहित देश के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देता है:

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
(ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना;

- उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड निर्माण, कौशल, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों आदि को अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग संबंध स्थापित करने में सहायता, जो निर्यात योग्य विशिष्ट हथकरघा उत्पाद तैयार कर रहे हैं।

- हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, बिग टिकट इवेंट्स, क्रेता-विक्रेता बैठक सम्मेलन, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक आदि के आयोजन/भागीदारी के माध्यम से बाजार में प्रवेश। इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी), हैंडलूम मार्क (एचएलएम) और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास।

- हथकरघा बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराने के लिए बरगढ़ सहित पूरे देश में कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के यार्न के लिए माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है; और कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊन और लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न के लिए 15% मूल्य सब्सिडी का घटक उपलब्ध है।

- संबलपुरी बंध साड़ी एंड फैब्रिक्स को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (जीआई) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत भी किया गया है।

*****